पत्रांक–10/न4–24/2000

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र,2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक–........................../

विषय:– डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, नरहन, पानापुर, पूर्वी चम्पारण को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.06 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन निबंधित न्यास "डी० ए० वी० कॉलेज ट्रस्ट एण्ड मैनेजमेंट सोसाईटी" नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। न्यास के शासी निकाय के सदस्यो की सूची दी गयी है और यह सूचना भी दी गयी है कि सदस्यो का आपस में पारिवारिक संबंध नही है। सदस्यो का पता देखने से स्पष्ट है कि ये भारत के विभिन्न शहरों में निवास करते है। सभी सदस्यों का पेशा भी भिन्न–भिन्न है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि न्यास में किसी व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नही है।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसायटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी के रूप में स्थापित होने अथवा किसी विद्यालय के ब्रैड नेम का उपयोग नहीं करने का भी दावा किया है।
3. आवेदन के अनुसार विद्यालय को 2.5 एकड़ भूमि है जिसपर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप भवन, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि होने का दावा किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधा की जॉच बोर्ड को अपने निरीक्षण दल से करा लेनी होगी।
4. विद्यालय में प्राचार्य सहित 18 शिक्षक हैं, जिसमें 5 शिक्षक एन० सी० टी० ई० के मापदण्ड के अनुरूप बताये गये हैं तथा अन्य शिक्षकों के संबंध में सूचना दी गयी है कि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि शिक्षकों की योग्यता एन० सी० टी० ई० के मापदण्डों के अनुरूप हो तथा उनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ तरीके से की गयी है।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय को अनिवार्य रूप से पढाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक किये जाने का दावा किया गया है। यह भी कहा गया है कि इसे शिक्षक/अभिभावक की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.06 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्त स्वीकार है। अपेक्षित शर्तों के अनुसार:–

   (क) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चो का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शल्क नही लिया जायेगा। [illegible]

Principal
D.A.V.

Scanned with OKEN Scanner

अल्पसंख्यक, विकलांग, बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/— रूपये प्रतिवर्ष हो होगें।

(ख) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० तथा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षायें/साक्षात्कार (बच्चा एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से draw of lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चो का चयन किया जायेगा।

(ग) नर्सरी/के० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चो का विद्यालय से आवासं की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च-प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(घ) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय इनके द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर संचालित है।

9. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार विभागीय अधिसूचना में उल्लेखित अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तों का पालन किया जा रहा है। विद्यालय को इन शर्त्तों को सार्वजनिक करना होगा तथा इसका उल्लेख विद्यालय के प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा।

10. शर्त्तों के उल्लघंन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संवद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

11. उपरोक्त तथ्यो के आलोक में वर्णित शर्त्तों के आधार पर डी० ए० भी० पब्लिक स्कूल, नरहन, पानापूर, पूर्वी चम्पारण को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

12. विद्यालय से प्राप्त आवेदन की छाया प्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 283 /   पटना, दिनांक- 11.4.07 /

प्रतिलिपि:– प्राचार्य, डी० ए० भी० पब्लिक स्कूल, नरहन, पानापूर, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/4/07

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।

Principal
D.A.V. Public School
Narha-Panapur ...

Scanned with OKEN Scanner